संख्या-958/2018/154/22-2-2018-17(15)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2018***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलखण्डी पुत्र श्री कमतुआ निवासी जनपद-महोबा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1811/प्रोबे0-5-दयायाचिका/1175 दिनांक 15-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बलखण्डी पुत्र श्री कमतुआ, जो ग्राम भटेऊरा खुर्द, थाना-कुलपहाड, जनपद- महोबा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधान के चुनाव के विवाद को लेकर दिनांक 12.09.1988 को 04 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचों व कुल्हाडी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-12/99 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,148, 201 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 06.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । बन्दी द्वारा दिनांक 30.11.2016 तक 13 वर्ष 10 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 00 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के अपराध करने में अशक्त न होने तथा परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी बलखण्डी (बन्दी संख्या-931/2007) पुत्र श्री कमतुआ निवासी जनपद-महोबा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-958/2018/154(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in